भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3475**
**(जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)**

## उत्तरी राज्यों में आयकर कार्रवाई

3475. **श्री गौरव गोगोईः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने वर्ष 2016 से असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता लगाया है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान असम में कितने तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाए गए और उनमें कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र शामिल थे;
(ग) उपरोक्त मामलों में से कितने मामलों में अभियोजन, दंड या बकाया राशि की वसूली हुई है;
(घ) क्या इन निष्कर्षों के संबंध में किसी व्यक्ति या सरकारी ठेकेदार की जाँच चल रही है; और
(ङ) सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कर प्रवर्तन को मजबूत करने और वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री**
**(श्री पंकज चौधरी)**

(क): कर अपवंचन और बेहिसाब आय का पता लगाने के संबंध में जांच एक सतत प्रक्रिया है और जब भी कोई मामला आयकर विभाग (आईटीडी) के संज्ञान में आता है तो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कानून के अनुसार तलाशी, सर्वेक्षण, आय का आकलन, कर लगाना और कर की वसूली करना, जुर्माना लगाना और अभियोजन शुरू करना सहित उचित कार्रवाई की जाती है।

(ख): आयकर विभाग संबंधित मामलों में जहाँ आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, कानून के अनुसार तलाशी, ज़ब्ती और सर्वेक्षण की कार्रवाई करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिन व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली जाती है, वे आमतौर पर कई राज्यों/भौगोलिक क्षेत्रों में फैले होते हैं। तदनुसार इन तलाशियों और उनमें ज़ब्त की गई बेहिसाबी धनराशि को किसी विशेष राज्य/राज्यों से संबंधित नहीं माना जा सकता। इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल व्यक्ति देश भर में फैले विभिन्न क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, विनिर्माण, व्यापार, निर्माण, चिकित्सा और अस्पताल आदि में विविध व्यवसायों/पेशों में लगे हुए हैं। वर्ष 2016 से देश में (असम राज्य सहित) आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी और जब्ती तथा सर्वेक्षण कार्रवाइयों के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं:

**तलाशी और जब्ती कार्रवाई**

| वित्तीय वर्ष | समूह तलाशी की संख्या | कुल जब्ती (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 2016-17 | 1152 | 1469.42 |
| 2017-18 | 582 | 992.52 |
| 2018-19 | 966 | 1567.07 |
| 2019-20 | 984 | 1289.47 |
| 2020-21 | 569 | 880.83 |
| 2021-22 | 686 | 1159.59 |
| 2022-23 | 741 | 1765.56 |
| 2023-24 | 1166 | 2555.05 |
| 2024-25 | 1437 | 2503.73 |
| 2025-26* (जून, 2025 तक) | 174 | 137.18 |

* - आंकड़े अनंतिम हैं

**सर्वेक्षण संबंधी कार्रवाई:**

| वित्तीय वर्ष | आयोजित सर्वेक्षणों की संख्या |
|---|---|
| 2015-16 | 4428 |
| 2016-17 | 12520 |
| 2017-18 | 13547 |
| 2018-19 | 15401 |
| 2019-20 | 12720 |
| 2020-21 | 426 |
| 2021-22 | 1046 |
| 2022-23 | 1245 |
| 2023-24 | 737 |
| 2024-25 | 465 |
| 2025-26 (जून, 2025 तक)* | 17 |

*आंकड़े अनंतिम हैं

(ग) : आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी, जब्ती और सर्वेक्षण कार्रवाइयों तथा उसके बाद की गई जाँच के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाता है और कर की माँग की जाती है। हालाँकि निर्धारित आय और उस पर लगने वाले कर का निर्धारण तभी निर्णायक रूप से होता है जब आयकर आयुक्त (ए), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष की गई अपीलों, यदि कोई हो, पर निर्णय हो जाता है। इसके अतिरिक्त लागू मामलों में अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन, दंड या बकाया राशि की वसूली शुरू की जाती है। ये कार्यवाहियाँ अपीलीय/न्यायिक कार्यवाहियों के भी अधीन हैं। हालाँकि असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आयकर विभाग द्वारा चलाए गए अभियोजनों की संख्या का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

| वित्तीय वर्ष | असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू किए गए नए अभियोजन के मामलों की संख्या |
|---|---|
| 2016-17 | 0 |
| 2017-18 | 76 |
| 2018-19 | 38 |
| 2019-20 | 5 |
| 2020-21 | 0 |
| 2021-22 | 0 |
| 2022-23 | 1 |
| 2023-24 | 20 |
| 2024-25 | 3 |

(घ): इस अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के अलावा विशिष्ट करदाताओं के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण निषिद्ध है।

(ङ): देश में (असम राज्य और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित) कर प्रवर्तन को सुदृढ़ करने और वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 जो दिनांक 01.07.2015 से लागू हो गया है, विदेशों में जमा काले धन के मुद्दे से विशेष रूप से और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है।

(ii) बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में व्यापक रूप से संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, बेनामी संपत्ति को जब्त करना और बेनामीदार तथा लाभार्थी स्वामी के विरुद्ध मुकदमा चलाना है।

(iii) विदेशी संपत्ति मामलों में त्वरित जाँच सहित प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाइयां की गई हैं। इन कार्रवाइयों में तलाशी, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का आकलन, कर लगाना, जुर्माना आदि लगाना और जहाँ भी लागू हो, आपराधिक न्यायालयों में अभियोजन दायर करना शामिल हैं।

(iv) आयकर विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग बिना दखल दिए करदाताओं को NUDGE (नॉन इनट्रूसिव यूज़ेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल टेक्सपेयर) के लिए भी किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें कर कानूनों के बेहतर और व्यापक अनुपालन के लिए आसानी से मार्गदर्शन प्रदान करना और सक्षम बनाना है।

****